(क) क्या यह सच है कि ‘भारतीय पुलिस सेवा’ में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में आपत्ति की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) और (ख) : जी, हां । संघ लोक सेवा आयोग भारतीय पुलिस सेवा सहित विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए वार्षिक आधार पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है ।**

**(ग) से (च) : सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आई पी एस अधिकारियों की भर्ती के अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आईपीएस में भर्ती करने का निर्णय लिया है । संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था और निर्णय लिए जाने से पूर्व उनके अभिमत की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी ।**